रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2009/श्रावण 2, 1931
No. 128] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2009/SRAVANA 2, 1931

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2009

सं. एल-7/142/157/2008-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा, इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2008, जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. विनियम 2 का संशोधन :—मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली या उसके तत्वों के टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन के साथ आवेदन में प्रतिवर्ष दावा किए गए कुल पारेषण प्रभारों के 0.05% की दर पर संदेय फीस संलग्न की जाएगी जिसे एक सौ रुपए के निकटतम पूर्णांकित किया जाएगा तथा जो न्यूनतम 40,000 (केवल चालीस हजार रुपए) के अधीन रहते हुए होगी :

परंतु यह कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन करते समय पहले वर्ष के लिए दावा किए गए वार्षिक पारेषण प्रभारों के 0.05% की दर पर फीस का संदाय कर सकेगा तथा शेष फीस को प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक दावा किए गए पारेषण प्रभारों 0.05% की दर पर वार्षिक किस्तों में संदत्त कर सकेगा :

परंतु यह और कि यथापूर्वोक्त संदत्त फीस का अंतिम रूप से समायोजन प्रत्येक वर्ष के लिए आयोग द्वारा अवधारित वास्तविक टैरिफ के साथ किया जा सकेगा ।"

3. विनियम 3 का संशोधन :—मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) ऐसा आवेदन, जो टैरिफ के अवधारण या उसे अंगीकार करने के लिए आवेदन या विद्युत में अंतर-राज्यिक पारेषण या अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन या अंतवर्ती आवेदन या न्यायिक अभिलेखों के निरीक्षण या उनकी प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं हैं किंतु इसमें अनंतिम टैरिफ के अनुमोदन के लिए आवेदन सम्मिलित है, के साथ 40,000 (केवल चालीस हजार रुपए) की फीस संलग्न की जाएगी तथा आयोग द्वारा ऐसे आवेदन को ग्रहण करने पर, आवेदन को ग्रहण करने के

आदेश की संसूचना के दो सप्ताह के भीतर 1,60,000 (केवल एक लाख साठ हजार रुपए) की और फीस संदत्त की जाएगी ।"

4. **विनियम 4 का संशोधन :** मूल विनियम के विनियम 4 के खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जिसमें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के किसी भी परंतुक के अधीन निर्दिष्ट पारेषण अनुज्ञप्तिधारी समझा जाने वाला व्यक्ति भी सम्मिलित है, उस वर्ष के लिए लागू वार्षिक पारेषण प्रभारों का 0.05% की दर पर अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा जिसे निकटतम एक सौ रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा ।"

5. **विनियम 6 का संशोधन :** मूल विनियम के विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6. **विलंब संदाय अधिभार.**—किसी अन्य कार्रवाई, जो इन विनियमों के अननुपालन के लिए समुचित समझी जाए, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पुनः असंदत्त अवधि के लिए प्रत्येक मास के लिए या उसके भाग हेतु बकाया रकम पर एक प्रतिशत (1%) की दर पर विलंब संदाय अधिभार संदत्त किया जाएगा जिसे निकटतम एक सौ रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा ।"

6. **विनियम 7 का संशोधन :** मूल विनियम के विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7. **संदाय की पद्धति.**—सभी फीस का संदाय जिसमें विलंब संदाय अधिभार भी है, सहायक सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/संदाय आदेश के माध्यम से किया जाएगा या आयोग के खाते में धन के इलैक्ट्रानिक अंतरण द्वारा किया जाएगा :

परंतु यह कि जब संदाय इलैक्ट्रानिक अंतरण के माध्यम से किया जाता है तो ऐसे संदाय का आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा ।"

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/09-असा.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4 में तारीख 17-10-2008 को प्रकाशित किए गए थे ।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2009

No. L-7/142/157/2008-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2008, hereinafter referred to as "the principal regulations", namely :—

1. **Short title and commencement :** (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2009.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Regulation 2 :** Clause (2) of regulation 2 of the principal regulations shall be substituted as under, namely :—

"(2) An application for determination of tariff for inter-State transmission system or an element thereof shall be accompanied by a fee payable at the rate of 0.05% of the total annual transmission charges per annum claimed in the application, rounded off to the nearest one hundred rupees and subject to a minimum of Rs. 40,000 (Rs. Forty Thousand only) :

Provided that the transmission licensee may while making the application for determination of tariff pay fee at the rate of 0.05% of the annual transmission charges claimed for the first year and the balance fee may be paid in yearly instalments, at the rate of 0.05% of the transmission charges claimed, by 30th April of each year:

Provided further that the fee paid as aforesaid shall be finally adjusted with actual tariff determined by the Commission for each year;".

3. **Amendment of Regulation 3 :** Clause (3) of regulation 3 of the principal regulations shall be substituted as under, namely :—

"(3) An application which is not an application for determination or adoption of tariff or an application for grant of licence for inter-State transmission of, or inter-State trading in, electricity, or an interlocutory application or an application for inspection or obtaining certified copies of judicial records, but, including an application for approval of provisional tariff shall be accompanied by a fee of Rs. 40,000/- (Rs. Forty thousand only) and on admission of such application by the Commission, a further fee of Rs.1 ,60,000 (Rs. one lakh and sixty thousand only) shall be paid within two weeks of communication of order of admission of the application."

4. **Amendment of Regulation 4 :** Clause (1) of regulation 4 of the principal regulations shall be substituted as under, namely :—

"(1) The transmission licensee for inter-State transmission, including a person deemed to be a

transmission licensee referred to under any of the provisos to Section 14 of the Electricity Act, 2003, shall pay licence fee at the rate of 0.05% per annum of the annual transmission charges applicable for that year rounded off to the nearest one hundred rupees."

5. Amendment of Regulation 6 : Regulation 6 of the principal regulations shall be substituted as under, namely:

"**6. Late payment Surcharge.**—Without prejudice to any other action that may be considered appropriate for non-compliance of these regulations, late payment surcharge at the rate of one per centum (1 %) rounded to the nearest one hundred rupees, shall be paid on the outstanding amount for each month or part thereof for the period fee remains unpaid shall be paid."

6. Amendment of Regulations 7 : Regulation 7 of the principal regulations shall be substituted as under, namely :—

"**7. Mode of Payment.**—All fees, including late payment surcharge shall be payable through a demand draft/pay order in favour of Assistant Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, at New Delhi or by electronic transfer of money to the Commission's account :

Provided that when payment is made through electronic transfer, necessary evidence of such payment shall be furnished."

ALOK KUMAR, Secy.

[ADVT III/4/150/09-Exty.]

Note : Principal regulations were notified in the Gazette of India (Extraordinary) Part III, Section 4 on 17-10-2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.